

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2024/1552  
प्रति,

छिंदवाड़ा दिनांक 21/9/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कक्ष भू-प्रबंध)

सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय :- वनमंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष क्रमांक पी 454 के रकबा 14.00 हे० वनभूमि में भारत खुली खदान फेस-2 कोयला उत्खनन हेतु मेसर्स वेस्टर्न कोलफील्डस लिमि का व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/26356/2017

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-112/2006-FCV०1 दिनांक 18.09.2023  
2. आपका पत्र क्र. एफ-1/FP/MP/MIN/26356/2017/4697 दिनांक 03.09.2024

- \*\*\* -

विषयांकित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र जामई के ग्राम जुन्नारदेव विशाला के कक्ष क्रमांक आर एफ 454 के रकबा 14.00 हे० वनभूमि में भारत खुली खदान फेस-2 कोयला उत्खनन हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-112/2006-FCV०1 दिनांक 18.09.2023 से वर्णित बिंदु क्रमांक II एवं बिंदु क्रमांक VI की जानकारी तैयार कर आपकी ओर संलग्न संप्रेषित है।

S.No.	Conditions	Compliance
ii	As per DSS analysis of the kml file submitted with the proposal , the forest area within the mining lease has been found to be 150.453 ha. The DSS cell has used the boundary of forest available on State Forest website for analysis purpose. The State shall therefore recheck the forest area involved and take necessary action for the correction of forest area involved or for the correction of the forest boundary available on the website of the State Forest department.	पुनरीक्षित माइनिंग प्लान का मौका स्थल पर अस्थाई सीमांकन न होने के कारण परीक्षण स्थल परीक्षण नहीं किया गया है। आवेदक विभाग द्वारा पोर्टल में अपलोड किये गये माइनिंग प्लान की के.एम.एल का परीक्षण किया गया। पुनरीक्षित माइनिंग प्लान कुल रकबा 111.489 हे० पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसमें से रकबा 68.704 हे० वन भूमि एवं रकबा 42.785 हे० गैर वन भूमि है। उक्त पुनरीक्षित लीज क्षेत्र

		की के.एम.एल. फाईल आवेदक विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल में अपलोड की गई है।
vi	The 19.5 ha mined out area has not been reclaimed so far. The justification for not reclaiming the same along with the reclamation plan which was supposed to be implemented shall be submitted.	उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.07.2023 से श्री ए.के. सिन्हा उप महानिदेशक (वन) एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के वे.को.फि.लि. कन्हान क्षेत्र डुगरिया के दौरा कार्यक्रम के दौरान माईनिंग लीज का स्थल निरीक्षण किया गया। रकबा 19.50 हे० में से 12.86 हे० भूमि में खनन कार्य किया गया है, समतलीकरण किया जाना शेष है आवेदक संस्थान द्वारा समतलीकरण भारत खुली खदान फेस-2 की स्वीकृति प्राप्त होने पर फेस-2 से मलबे को निकाल कर समतल किया जावेगा।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2024/1553

छिंदवाड़ा, दिनांक/9/9/24

प्रतिलिपि :- 1. वन संरक्षक छिंदवाड़ा वन वृत्त छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

2. महाप्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्डस लिमि कन्हान क्षेत्र डुगरिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा